

प्रेस- नोटथाना- बरदहचोरी की दो घटनाओं का अनावरण; चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 27.01.2024 को वादी मुकदमा लालमन सिंह पुत्र स्व० अमलधारी सिंह सा० पिछौरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी मुकदमा के घर से आलमारी का ताला तोड़कर 1 लाख रुपये से अधिक नगद, चांदी के आभूषण व आधार कार्ड आदि सामान चोरी कर लिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 34/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

➡ दिनांक 03.02.2024 को वादी मुकदमा मीसम हसनैन पुत्र कैसर हसनैन वर्तमान पता प्रधानाध्यक प्रा०वि० चिकसावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़,स्थायी पता- बडागांव थाना शाहगंज, जौनपुर ने थाना स्थानीय लिखित तहरीर दी कि बीती रात्रि अज्ञात चोर द्वारा प्राथमिक विद्यालय से बर्तन, टेबल व कुर्सी चोरी कर लिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 42/2024 धारा 457/380 भा०द०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त कमलेश बिन्द पुत्र लल्लन बिन्द निवासी कमालपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 19.02.2024 को 30नि० जुबेर अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त कमलेश बिन्द पुत्र लल्लन बिन्द निवासी कमालपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय 09.05 बजे बैरी नहर पुलिया के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक बोरा मे दो स्टील लोटा, पांच स्टील प्लेट, एक स्टील कलछुल, एक स्टील पौना, एक अलमुनियम भगौना, एक एलमिनीयम कडाही बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट के दाहिने जेब से 2700 रुपये व एक आधार कार्ड न०- 6700xxxxxx लालमन पुत्र अमलधारी निवासी पिछौरा बरदह, आजमगढ़ के नाम का व बाये जेब से दो सफेद धातु के पायल बरामद किया गया।

➡ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 34/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

2-मु०अ०सं० 42/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- 1.कमलेश बिन्द पुत्र लल्लन बिन्द निवासी कमालपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:- चोरी गयी वादी मुकदमा उपरोक्त की एक बोरा मे दो स्टील लोटा,पांच स्टील प्लेट, एक स्टील कलछुल, एक स्टील पौना, एक अलमुनियम भगौना, एक एलमिनीयम कडाही बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट के दाहिने जेब से 2700 रुपये व एक आधार कार्ड न०- 670012971796 लालमन पुत्र अमलधारी निवासी पिछौरा बरदह, आजमगढ़ के नाम का व बाये जेब से दो सफेद धातु के पायल बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 24/2020 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना बरदह आजमगढ़।

2.मु०अ०सं०. 0167/2019 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

3. मु०अ०सं० 0183/2018 धारा 379, 411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

4. मु०अ०सं० 0185/2018 धारा 379, 411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

5. मु०अ०सं० 0186/2018 धारा 379, 411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

6. मु०अ०सं० 0187/2018 धारा 34, 379, 411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

7. मु०अ०सं० 0422/2023 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

8. मु०अ०सं० 0427/2023 धारा 25, 3 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़।

9. मु०अ०सं० 34/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

10. मु०अ०सं० 42/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. 30नि० जुबैर अहमद, हे०का० विहंगल यादव, का० विद्याकान्त थाना बरदह आजमगढ़

**थाना- जीयनपुर**  
**शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/इतिहास-**

दिनांक 16/02/2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता थाना जीयनपुर जिला आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रवि प्रकाश यादव पुत्र जयराम यादव ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया तथा गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 63/2024 धारा 376/323/504/506 भादवि बनाम -1. रवि प्रकाश यादव पुत्र जयराम यादव नि0ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 19/02/2024 को थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रवि प्रकाश यादव पुत्र जयराम यादव ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को आखेपुर बाजार से समय करीब 09.20 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग---** मु0अ0सं0 63/2024 धारा 376/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:---** रवि प्रकाश यादव पुत्र जयराम यादव ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मु0अ0सं0 63/2024 धारा 376/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. का0 प्रदुम्न यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 अजय कुमार शर्मा थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. म0का0 ममता यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़

**थाना – अहरौला**

**धर्मान्तरण कराने व शादी का प्रयास करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना का विवरण-**

दिनांक 16.02.2024 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने खाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी यूसुफ पुत्र अब्दुल करिम निवासी समसपुर धाना गंजडुंडवारा जिला कासगंज द्वारा वादी मुकदमा की लड़की को विशेष धर्म परिवर्तन करने दबाव बनाना तथा जबरन शादी करने को कहा गया, ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 065/24 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व धारा 506 भादवि बनाम 1. यूसुफ पुत्र अब्दुल करिम निवासी समसपुर धाना गंजडुंडवारा जिला कासगंज पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 19.02.2024 को उ0नि0शिवसागर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त यूसुफ पुत्र अब्दुल करीम उम्र करीब 24 वर्ष निवासी समसपुर थाना गंज डूमवारा जनपद कासगंज को फुलवारिया बाई पास से समय सुबह 10.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 65/24 धारा 506 भादवि व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0 2021 थाना अहरौला आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –**

1. यूसुफ पुत्र अब्दुल करीम उम्र करीब 24 वर्ष निवासी समसपुर थाना गंज डूमवारा जनपद कासगंज

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1- उ0नि0शिवसागर यादव तथा हे0का0 सुरेन्द्र कुमार निषाद थाना अहरौला आजमगढ़।